2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

(1)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निग-3324-PBR/16

1. शिवचरण पुत्र श्री मिश्रीलाल
2. रामकिसन पुत्र श्री भोगीलाल
   निवासीगण–ग्राम पोरू खेड़ी तहसील व जिला गुना
3. हजारीलाल पुत्र मिश्रीलाल
   ग्राम पोरू खेड़ी तहसील व जिला गुना

..........आवेदकगण

दिनांक 26-9-16 को श्री जी.पी. चौरसिया अभि० द्वारा प्रस्तुत।
26.9.16
SO

68
26-9-16

26/9/16

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्री मथुरालाल मीना
2. पप्पू पुत्र मथुरालाल मीना
   निवासीगण–पोरूखेड़ तहसील व जिला गुना

...........अनावेदकगण

<u>आवेदन पत्र वास्ते आदेश दिनांक 10.08.2016 द्वारा पारित आदेश को पुर्नविचारण किये जाने बावत् (श्रीमान् मनोज गोयल साहब)</u>

श्रीमान महोदय

आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदकगण / निगरानीकर्ता द्वारा एक निगरानी श्रीमान कलेक्टर के आदेश दिनांक 17.09.2012 के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसका निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08. 2016 को किया जाकर निगरानी निरस्त कर दी गयी।

2016- OCt-34

शिवचरण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3324–पीबीआर/2016 [ रिछपाल / कैलाश ] जिला गुना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 06–10–16 | आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2745–पीबीआर/2013 में पारित आदेश दिनांक 10–8–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।<br>2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–<br>1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।<br>2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।<br>3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण ।<br>आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों ।<br>अध्यक्ष | |